न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./72/2013/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
बदरा पुत्र फगलू उम्र 52 वर्ष जाति विश्नोई निवासी आलेटी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. वली बेवा पूनमा उम्र 60 वर्ष 2. गोरधन पुत्र फगलू उम्र 50 वर्ष 3. हरजी फौत के कायम मुकाम 1/1उदा पुत्र हरजी 1/2शांति बेवा ठाकरा 1/3पाबू पुत्र ठाकरा 1/4रूपा पुत्र ठाकरा पबू व रूपा नाबालिग कुदरती वलिया माता शांतिदेवी पत्नी ठाकरा 4. तेजा पुत्र मोती उम्र 60 वर्ष 5. सदराम पुत्र हीराराम उम्र 45 वर्ष 6. सोनाराम पुत्र हीराराम उम्र 40 वर्ष जाति विश्नोई निवासी आलेटी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार साहब गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 161/2001 बअनवान वाली वगैरा बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.12.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 22.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 91, 40, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के पैतृक खातेदारी के खेत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा आलेटी व नया राजस्व गांव सियोलों की बेरी में क्रमशः खसरा नम्बर 112, 70, 72, 78, 92, 1, 49, 61, 60 क्रमश रकबा 48.15 बीघा, 41.19 बीघा, 15 बिस्वा, 12.14 बीघा, 18.18 बीघा तथा 76.18 बीघा, 59.03 बीघा, 145.10 बीघा, 01 बीघा कुल रकबा 423.13 बीघा भूमि आई है, जिसका पर्चा लगान वादीगण के दादा, ससुर के नाम जारी हुआ है। वादीगण के दादा ससुर व दादा फौत होने पर वादग्रस्त खेतों का नामानतरकरण उनके जाईन्दा पुत्रो के नाम जारी हुआ, जबकि उनकी फौतगी के समय प्रतिवादी संख्या 05 फगलू के साथ वादीगण का नाम अंकित करना था, इसलिये वादीगण, प्रतिवादी संख्या 05 फगलू के 1/4 हिस्सा में 105.18 बीघा में 2/16 हिस्सा से रकबा 52.19 बीघा भूमि घोषित करवाने के अधिकारी है इस आशय का हस्तगत दावा पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा न चाहे गये अनुतोष को भी उतरदाता संख्या 01 व 02 को प्रदान किया गया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता फगलू द्वारा अपीलांट के पक्ष में खसरा नम्बर 61 में से अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है, जिसे निरस्त शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने हेतु वादीगण ने अपने वाद पत्र व इस्तदुआ के पद में कहीं पर अंकित ही नहीं है तथा न ही इस संबंध में कोई विवरण दिया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर हिस्से की घोषणा कर निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता फगलू द्वारा अपीलांट के पक्ष में खसरा नम्बर 61 में से अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है, जिसे निरस्त शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने हेतु वादीगण ने अपने वाद पत्र व इस्तदुआ के पद में कहीं पर अंकित ही नहीं है तथा न ही इस संबंध में कोई विवरण दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करते वक्त फगलू फौत हो चुका था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फगलू के फौतगी के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है तथा न ही फगलू के वारिशों व उतराधिकारियों का हवाला दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय में पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के पक्ष में दिनांक 14.09.2001 को हुए बेचाननामा को शून्य एवं निष्प्रभावी करार दिया गया है, जो उपपंजीयक कार्यालय से पंजीयबद्ध है तथा किसी पंजीयबद्ध दस्तावेजों को शून्य एवं निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी जिसका पर्चा लगान वादीगण के दादा, ससुर के नाम जारी हुआ। उनके फौत होने पर वादीगण को विरासत में वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुई थी, किन्तु वादीगण के दादा ससुर व दादा फौत होने पर वादग्रस्त खेतो का नामांन्तकरण उनके जाईन्दा पुत्रों के नाम जारी हुआ, जबकि उनकी फौतगी के समय प्रतिवादी संख्या 05 फगलू के साथ वादीगण का नाम अंकित करना था। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। वादीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8, 16 तथा काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनतर्गत वादग्रस्त खेतों में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस/वादी अपीलाधीन आराजी पैतृक होने से उसका जन्म से ही उसमें हक हिस्सा नियत है। अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 61 का बेचान अपीलांट के पक्ष में मूल दावा पेश होने के बाद दौराने दावा स्थगन आदेश प्रभाव में रहते हुए निष्पादित किया गया जो दुराशय पूर्ण है। उतरदाता/वादी का दादा एवं सुसर फगलू को अपने हिस्से से अधिक भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट दावे को लंबित करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फरमायी जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2021(1) Page 421

RRD 2020 Page 187

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2012 को पारित की गई, तब अपीलांट व उनके अधिवक्ता को कोई जानकारी नहीं दी गई तथा मात्र वादीगण की बहस पर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई, जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई तथा अरसा 35 दिन पूर्व हल्का पटवारी मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर आया, तब हल्का पटवारी से पूछताछ करने पर पता कि आपके दावे में फैसला हो चुका है, जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2013 की नकले मांगी जो दिनांक 09.05.2013 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई जिस पर सम्यक जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2012 Page 276

RRT 2011(2) Page 851

DNJ 2020(3) Page 697

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी वादी/रेस्पोडेंटस की पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांट के पक्ष में हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया गया। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर उपरोक्त आपति के अलावा कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट को नाहय तंग व परेशान करने की नीयत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हूबहू लागू होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 161/2001 बअनवान वाली वगैरा बनाम हरजी वगैरा में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.12.2012 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर